



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112024-258410
CG-DL-E-01112024-258410

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]
No. 622]

नई दिल्ली शुकवार, नवम्बर 1, 2024/कार्तिक 10, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2024/KARTIKA 10, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मसौदा अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 680(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित मसौदा नियम बनाती है, जिसके प्रभावित होने की संभावना है; जनता की जानकारी के लिए और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा अधिसूचना को उस तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार में लिया जाएगा, जिस दिन इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं। मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई भी आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्र सरकार के विचार हेतु सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली -110003 को लिखित रूप में अपनी आपत्ति या सुझाव भेज सकता है, या इसे ई-मेल एड्रेस: mscb.cpcb@nic.in और sonu.singh@gov.in पर भेज सकता है

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1.

- इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा।
- ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति पर लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
1	2	3	4
36.	एल्युमीनियम संयंत्र		उत्सर्जन
	(क) एल्युमिना रिफाइनरी		
	(i) कच्चे माल का प्रबंधन	कणाकार पदार्थ (mg/Nm ³)	150
	(ii) कैल्सीनेशन संयंत्र	कणाकार पदार्थ (mg/Nm ³)	100
		कार्बन मोनोऑक्साइड	1% अधिकतम
		स्टैक ऊंचाई	(नोट के अनुसार) ¹
		सल्फर डाइऑक्साइड (SO ₂)	(नोट के अनुसार) ²
	(ख) एल्युमीनियम प्रगलन		
	(i) ग्रीन ऐनोड संयंत्र	कणाकार पदार्थ (mg/Nm ³)	100
	(ii) ऐनोड बेकिंग प्लांट	कणाकार पदार्थ (mg/Nm ³)	50
कुल फ्लोराइड (F)		0.3किग्रा/AI का मैट्रिक टन (अधिकतम)	
सल्फर डाइऑक्साइड (SO ₂)		(नोट के अनुसार) ²	
(iii) विद्युत अपघटनी पॉट संयंत्र		कणाकार पदार्थ (mg/Nm ³)	पुरानी इकाइयां - 50 (31.12.2010 को या उससे पूर्व स्थापित की गई)
		कणाकार पदार्थ (mg/Nm ³)	नई इकाइयां - 30 (01.01.2011 को या उसके पश्चात् स्थापित की गई)
		कुल फ्लोराइड (F)	0.8 किग्रा/AI का मैट्रिक टन (अधिकतम)
		AIF ₃ की खपत	20 किग्रा/AI का मैट्रिक टन
		(iv) कास्टिंग फर्नेस (ऑयल फर्नेस)	कणाकार पदार्थ (mg/Nm ³)
(iv) कास्टिंग फर्नेस (ऑयल फर्नेस)		सल्फर डाइऑक्साइड (SO ₂)	(नोट के अनुसार) ²
(ग) फोरेज फ्लोराइड के लिए मानक (शुष्क वजन के आधार पर)			
	लगातार बारह महीनों की औसत	40 ppm	
	लगातार दो महीनों की औसत	60 ppm	

	एक महीने की औसत (दो नमूनों की -12 दिन के अंतर पर लिए गए)	80 ppm
टिप्पणी:		
<ol style="list-style-type: none"> उपर्युक्त प्रक्रियाओं के लिए स्टैक की ऊंचाई पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ईआईए अध्ययन में प्रस्तावित अथवा एसपीसीबी द्वारा जारी सहमति में यथा विनिर्धारित, इनमें से जो भी अधिक हो, वह होगी। 1% से अधिक सल्फर वाले ईंधन, जैसे एलडीओ, एलएसएचएस, आदि का उपयोग कैल्सीनेशन प्लांट, एनोड बेकिंग प्लांट और ऑयल कास्टिंग फर्नेस में किया जाएगा। आगे स्वच्छ ईंधन अपनाने के प्रयास किए जाएंगे। कणाकार पदार्थ और सल्फर डाइऑक्साइड की निगरानी के लिए सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) को संबंधित प्रक्रिया स्टैक में फ्लुएगास प्रवाह माप के साथ स्थापित किया जाएगा, जैसा लागू हो। सीआरईपी 2003 की कुल फ्लोराइड (एफ के रूप में) खपत के लिए सिफारिश -15 किग्रा/Al का अधिकतम मैट्रिक टन (सोडरबर्ग प्रौद्योगिकी के लिए) और 10 किग्रा/ Al का अधिकतम मैट्रिक टन (पूर्व-बेकड प्रौद्योगिकी के लिए) को एल्युमिनियम फ्लोराइड (A1F3 के रूप में) खपत के लिए उपरोक्त मानकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा - 20 किग्रा/ Al का अधिकतम मैट्रिक टन उपर्युक्त के अनुसार फोरेज फ्लोराइड की निगरानी ऐसे स्थान पर की जाएगी जहां उद्योग के बाहर फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा होने की संभावना है। बिना धुले नमूने को नमी की मात्रा के आधार पर 24 से 48 घंटे के लिए 600C के तापमान पर सुखाया जाएगा। 		

[फा. सं. क्यू-15017/6/2024-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण संख्या का. आ. 844(अ), दिनांक 19 नवंबर, 1986 द्वारा और बाद में अधिसूचना संख्या का.आ. 64(अ), दिनांक 18 जनवरी, 1988, सा.का.नि. 742 (अ), दिनांक 30 अगस्त, 1990 और अंतिम बार सा.का.नि. 3864 (अ), दिनांक 9 सितंबर, 2024 द्वारा संशोधित और प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**Draft Notification**

New Delhi, the 1st November, 2024

G.S.R. 680(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following draft rules to further amend the Environment(Protection)Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public. Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address: mscb.cpcb@nic.in and sonu.singh@gov.in.

1. Short title and commencement.

1.

- These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2024.
- They shall come into force on expiry of two years from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, in place of the serial number 36 and the entries relating thereto, the following entry shall be substituted, namely:-

S.No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
36.	ALUMINIUM PLANTS	EMISSIONS	
	(a) Alumina Refinery		
	(i) Raw Material Handling	Particulate Matter(mg/Nm ³)	150
	(ii) Calcination Plant	Particulate Matter(mg/Nm ³)	100
		Carbon Monoxide	1% Max.
		Stack Height	(as in Note) ¹
		SO ₂	(as in Note) ²
	(b) Aluminium Smelter		
	(i) Green Anode Plant	Particulate Matter(mg/Nm ³)	100
	(ii) Anode Baking Plant	Particulate Matter(mg/Nm ³)	50
		Total Fluoride(F)	0.3kg/MT of Al (Max.)
		SO ₂	(as in Note) ²
	(iii) Electrolytic Pot Room	Particulate Matter(mg/Nm ³)	Old units - 50 (set up on or prior to 31.12.2010)
			New units- 30 (set up on and after 01.01.2011)
Total Fluoride(F)		0.8kg/ton of Al (Max.)	
AlF ₃ consumption		20kg/ton of Al	
(iv) Casting Furnace(oil furnace)	Particulate Matter(mg/Nm ³)	150	
	SO ₂	(asin Note) ²	
(c)Standards for Forage Fluoride(dry weight basis)			
	Twelve consecutive months average	40 ppm	
	Two consecutive months average	60 ppm	
	One month average (of two samples-12days apart)	80 ppm	
Notes:			
1. Height of the stack for above processes shall be as proposed in the EIA study for obtaining Environmental Clearance or as prescribed in the Consent issued by SPCB, whichever is more.			
2. Fuels having not more than 1% sulphur, such as LDO, LSHS, etc., shall be used in Calcination Plant, Anode Baking Plant and oil fired Casting Furnace. Efforts shall be made for further			

	<p>transition to cleaner fuels.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Continuous emission monitoring system (CEMS) shall be installed for monitoring of PM and SO₂ along with flue gas flow measurement in concerned process stack as applicable.4. CREP 2003 recommendation for Total Fluoride (as F) consumption -15 kg/ton of Al max. (for Soderberg technology) and 10 kg/ton of Al max. (for Pre-baked technology), are replaced by above standards for Aluminium Fluoride (as AlF₃) consumption - 20 kg/ton of Al (max).5. Forage fluoride monitoring as above shall be conducted at such location where maximum fluoride concentration is expected outside the industry. The unwashed sample shall be dried at a temperature of 60⁰C for 24 to 48 hr, depending on moisture content.
--	---

[F.No. Q-15017/6/2024-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O.844(E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* notifications number S.O. 64(E), dated 18th January, 1988, G.S.R. 742 (E), dated 30th August, 1990 and last amended *vide* G.S.R.3864(E), dated 9th September, 2024.